

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम:-

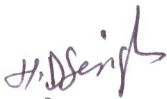
मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.420 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.030 हे० कुल भूमि 0.450 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मा० मुख्यमंत्री घोषणा में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी राज्य मार्ग 34 से मालई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण की स्वीकृत शासनादेश संख्या 4305/111(2)/11-16 (मु०मं०घो०)/2011 दिनांक 16/09/2011 के द्वारा 2.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रू० 25.16 लाख की प्राप्त हुई हैं। मार्ग निर्माण की वास्तविक लम्बाई 1.625 कि०मी० आती है। प्रस्तावित मोटर मार्ग आदिबद्री-नौटी मोटर मार्ग के कि०मी० 39.00 से प्रारम्भ हो कर मालई गाँव तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-मालई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेंगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय आदिबद्री से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है की मार्ग निर्माण न्यूनतम सिविल वन भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग पर पडने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

1-नाप भूमि 1.025 कि०मी० x 7 मी०	=	0.717 हे०
2-सिविल वन भूमि 0.600 कि०मी० x 7 मी०	=	0.420 हे०
3-मक डिस्पोजल हेतु	=	0.030 हे०
योग	=	1.167 हे०

अतः मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे० सिविल वन भूमि एवं मक डिस्पोजल प्लान सहित प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।



अमीन



कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर



अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर